न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः–152/2015
निर्णय दिनांकः–28.01.2025
पीठासीन अधिकारीः–राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. चांद मोहम्मद
2. हुसैन पुत्रान गुलाब स्याह जाति मुसलमान निवासी नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. ईदूस्याह
2. महबुब स्याह
3. रमजानी स्याह
4. इस्लाम स्याह पुत्रान मरहूम गुलाब स्याह जाति मुसलमान निवासी नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
5. फकीर मोहम्मद पुत्र महरूम सुभान खां मुसलमान (फौत)
   5/1. हमीद पुत्र फकीर
   5/2. मजीद पुत्र फकीर
   5/3. सफी पुत्र फकीर
   5/4. रमजान पुत्र फकीर
6. ईमामुदीन पुत्र महरूम सुभान खां मुसलमान (फौत)
   6/1. शोकिन पुत्र ईमामुद्दीन
   6/2. अलताब पुत्र ईमामुद्दीन
   6/3. शहजादी पुत्री ईमामुद्दीन
   6/4. रेशमा पुत्री ईमामुद्दीन
   6/5. सहाय पुत्र ईमामुद्दीन
   6/6. ईमरान पुत्र ईमामुद्दीन समस्त जाति मुसलमान निवासी नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
7. अब्दूल सलाम (फौत)
   7/1. रज्जाक
   7/2. सुघराती
   7/3. जाकीर पुत्रान अब्दूल सलाम जाति मुसलमान निवासी नीमेडा तहसील फागी।
   7/4. सबीना
   7/5. रूकैया } पुत्रीया अब्दूल सलाम जाति मुसलमान निवासी मस्जिद के पास
   7/6. सबाना } नानणं तहसील दूदू।
8. बाबू खां पुत्र अब्दूल सलाम जाति मुसलमान निवासी नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
9. मैनेजर जयपुर थार ग्रामीण बैंक वर्तमान नवीन नाम रा0मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर।
10. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री सुरेन्द्र शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री पंकज जैन अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 5 लगायत 8

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला–जयपुर

अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक:–28.01.2025

1. प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण श्री चांद मौहम्मद पुत्र गुलाब स्याह व हुसैन पुत्र गुलाब स्याह ने खतौनी सं0 677 के ख0न0 1280, 1281, 1284 लगायत 1287, 1551 कुल किता 7 कुल रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा भूमि वाके ग्राम नीमेडा तहसील फागी जिला जयपुर बाबत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पैतृक आराजी के आधार के आधार पर पेश किया है एवं प्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि सम्वत 2011 मे पर्चा सैटलमेन्ट भूरा पुत्र अलारख खां कौम फकीर स्याह के नाम से पर्चा जारी किया गया था जो बजमाना जागीर से ही काबिज काश्त चले आ रहे थे उनके फौत होने पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। प्रकरण मे वर्णित आराजी पैतृक एवं सहदायिक आराजी है। उक्त सहदायिकी आराजी में वादीगण के सहदायक होने के कारण कानूनी हक निहित है। इस हेतु प्रार्थीगण द्वारा घोषणा, तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया है। इस दौरान अप्रार्थीगण प्रार्थीगण/वादीगण के उक्त कानूनी हकों के विपरीत जाकर उक्त सम्पति को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इससे प्रार्थीगण के हकों पर नकारात्मक असर होगा। इस प्रकार दौरान – ए – वाद उक्त आराजी पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण असालतन वकालतनामा हाजिर न्यायालय हुए। अप्रार्थी सं0 5, 6/1 लगायत 6/6 व 7/1 लगायत 7/6 की तरफ से अधिवक्ता श्री पंकज जैन उपस्थित आये तथा जबाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये निवेदन किया कि उक्त आराजी कुल किता 7 कुल रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा जो बंटवारा भूर खां ने अपने पुत्र सुभान खां को दी जिसका नामान्तकरण सं0 225 दिनांक 19.04.1959 को ग्राम पंचायत निमेडा में कोरम मिटिंग पटवारी श्री नेमीचन्द ने 1/2 – 1/2 हिस्से का नामान्तकरण गुलाब खां व सुभान खां के हक में भरकर पेश किया जो दोनो भूरे खां के पुत्र थें। पंचायत में स्वंय गुलाब खां उपस्थित था व सुभान खां भी अन्य लोग भी उपस्थित थे। ग्राम पंचायत के सामने गुलाब खं ने कहा कि इस भूमि में अपना हिस्सा रखने इन्कार करता है। इसलिये नामान्तकरण सं. 225 रकबा 16 बीघा 04 बिस्वा बा0 की मंजूरी

उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर

लगातार.................3

(3)

सुभान खां के नाम स्वीकार किया है जो अब वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 की नियत मे बेईमानी आ गई है। जिससे यह झूठा वाद पेश किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

3. प्रकरण मे उभपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवम् अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 तरतीबी पक्षकार है। उक्त विवादग्रस्त आराजी भूरे खां के दोनो पुत्र गुलाब खां व सुभान खां के नाम आनी चाहिये थी किन्तु उक्त आराजी केवल सुभान खां के नाम दर्ज हो गई। इसलिये अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से बैचान नही करने हेतु पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

4. अप्रार्थी सं0 5 लगायत 7 के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये बताया की प्रार्थीगण का हक व अधिकार मूलवाद मे निर्धारित किये जाने होते है। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीयक्षति के सम्बन्ध मे कुछ भी कथंन नही किया गया है। ग्राम पंचायत नीमेडा मे तस्दीक नामान्तकरण सन् 1959 मे किया गया था किन्तु प्रार्थीगण द्वारा सन् 2015 मे उक्त आराजी के सम्बन्ध मे वाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 5 दावा दायरी से पूर्व ही फौत हो चूका है लेकिन फिर भी वादीगण द्वारा उक्त प्रकरण अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 5 को पक्षकार कायम किया जाकर वाद प्रस्तुत किया गया है। उक्त विवादग्रस्त आराजी का वर्ष 1959 मे नामान्तकरण तस्दीक किया गया था किन्तु आज दिनांक प्रार्थीगण के पिता गुलाब खां द्वारा उक्त नामान्तकरण को किसी भी न्यायालय मे अपील प्रस्तुत नही की। जबकि अप्रार्थी सं0 5, 6 व 7, 8 रिकार्डेड खातेदार है। इसलिये रिकार्डेड खातेदार का अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5 प्रकरण मे पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ की प्रकरण मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 06 नियम 17 व 151 सी0पी0सी0 विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं0 5 के वारिशान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत किया गया है जबकि अप्रार्थी सं0 5/1 लगायत 5/4 की तरफ से वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत हो चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

लगातार.....4

इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 नियम 17 व 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर मनन किया गया।

6 प्रकरण के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रावधानों का प्रकरण में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा – 212 के प्रावधान का उद्वाहरण इस प्रकार है।–

व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबन्ध– इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ – पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्व हो जाये कि:–

(क) किसी सम्पति का, जिससे ऐसा वाद या कार्यवाही सम्बन्धित है उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है या

(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उदेश्यों को विफल करने के अनुक्रम उक्त सम्पति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है। तो न्यायालय अस्थाई व्यादेश कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।

धारा 212 का विश्लेषण निम्ननुसार है।:–

इन उपचारों की मांग करने वाले प्रार्थी को निम्न दो शर्ते शपथ पत्र द्वारा या अन्य साक्ष्य में साबित करनी होंगी।

(क) विवादग्रस्त सम्पति को किसी पक्षकार द्वारा–

1- दुर्व्ययन करने
2- उसे नुकसान/हानि पहुॅचाने
3- अन्य संक्रान्त किये जाने (अन्तरित करने) का भय या खतरा है, या

(ख) ऐसे विवाद का कोई पक्षकार, यदि उक्त सम्पति को न्याय के उदेश्यों को विफल करने के अनुक्रम में–

1. हटाने (to remove) या
2. व्ययन करने (निपटाने (to dispose of) की 1. धमकी देता है या, 2. ऐसा आशय (नियत) रखता है।, 3. तो उपरोक्त (क) या (ख) में से वर्णित दो शर्तो में से किसी एक का प्रमाण होने पर।

7 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 212 के साथ – साथ सिविल प्रकिया संहिता – 1908 के आदेश – 39 नियम – 01 व 02 में अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में प्रावधान बनाये गये है। जिसका उद्वाहरण इस प्रकार है।–

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

लगातार.....5

आदेश 39 का नियम 1 उन मामलों का उल्लेख करता है जिनमे एक अस्थाई व्यादेश स्वीकार किया जा सकता है। जब कि नियम 2 में संविदा – भंग की पुनरावृति या जारी रखना अवरूद्व करने (रोकने) के लिये व्यादेश स्वीकार करने की व्यवस्था की गई है।

8. साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 की धारा 212 के साथ – साथ सिविल प्रंकिया संहिता – 1908 के आदेश – 39 नियम – 4 में अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में प्रावधान बनाये गये है। जिसका उद्वाहरण इस प्रकार है।–

आदेश 39 नियम 4 व्यादेश के आदेश को प्रभावोन्मुक्त (प्रभावहीन) उसमे फेरफार (परिवर्तन) या उसे अपास्त करने की व्यस्था करता है।

अस्थाई व्यादेश बाबत स्थापित सिद्वान्त

9. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम आदेश – 39 नियम 01 व नियम 02 के प्रावधान के उदेश्य को समझना उचित प्रतीत होता । इस सन्दर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा AIRONLINE 1990 SC 156 उनवान Wander Ltd. Anr.vs Antox india P. Ltd. मे दिनांक 26.04.1990 को दिये गये निर्णय मे सिविल प्रकिया संहिता 1908 के आदेश 39 नियम 1 व नियम 2 के प्रावधान के उददेश्य के सम्बन्ध मे दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। अस्थाई व्यादेश के स्थापित सिद्वान्त निम्नानुसार है।–

अस्थाई व्यादेश देना या न देना तीन स्थापति सिद्वान्तों पर निर्भर करता है–

1. क्या प्रार्थी ने प्राथमिक दृष्ट्या मामला प्रस्तुत किया है।
2. क्या सुविधा का सन्तुलन उसके पक्ष मे है(अर्थात यदि व्यादेश नही किया जाता है तो अधिकतर असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को)
3. क्या प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी।। ये तीनों शर्ते संयुक्त रूप से पुरी होने पर ही प्रार्थी के पक्ष मे अस्थाई व्यादेश जारी किया जा सकता है।

अस्थाई व्यादेश देने के लिए दशायें या परिस्थितियॉ (आदेश 39 नियम 1) – नियम 1 मे खण्ड (क), (ख) और (ग) में निम्नलिखित तीन परिस्थितियॉ या दशायें बताई गई है। जिनमे से किसी एक मे न्यायालय अस्थाई व्यादेश या ऐसे अन्य आदेश दे सकेगा (जो अस्थाई आदेश के समान स्वरूप के होगे)

(क). वाद मे कोई सम्पति विवादग्रस्त है। उस सम्पति को किसी भी पक्षकार द्वारा उसका दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने, अन्य संक्रान्त करने का खतरा है।

अथवा–

लगातार.....6

(ख). प्रतिवादी कपट से अपने लेनदारों (ऋणदाताओं) को वंचित करने के लिए अपनी सम्पति को हटाने, व्ययनित करने (निपटाने) की धमकी देता है या ऐसा आशय (इरादा) रखता है।

(ग). प्रतिवादी वादी को वादग्रस्त सम्पति से बे कब्जा करने धमकी देता है–या उस सम्पति के बारे मे अन्य कोई क्षति पहुँचाने की धमकी देता है।

Prima Facie Case (प्रथम दृष्टया मामला)

10. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 39 नियम 01 व नियम – 02 के प्रावधान में निहित सिद्वान्त के बारे मे विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ मे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 *AIR SCW* 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय मे सिविल प्रक्रिया संहिता – 1908 के आदेश 39 नियम 01 व नियम 02 के प्रावधान में निहित सिंद्वान्त की विस्तृत विवेचना की है। जिसका प्रासंगिक पैरा का उद्वाहरण इस प्रकार है।–

5. Therefore, the burden is on the plaintiff by evidence aliunde by affidavit or otherwise that there is "a prima facie case" in his favour which needs adjudication at the trial. The existence of the prima facie right and infraction of the enjoyment of his property or the right is a condition for the grant of temporary injunction. Prima facie case is not to be confused with prima facie title which has to be established, on evidence at the trial. Only prima facie case is a substantial question raised, bona fide, which needs investigation and a decision on merits.

अन्तर्गत धारा 212 के खण्ड (क) व (ख) मे दी गई दो शर्तो मे एक का पुरा होना अनिवार्य है।

Irreparabale Damage (अपूर्णनीय क्षति)

11. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 AIR SCW 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत अपूर्णनीय क्षति की विस्तृत विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

5. (.....) Satisfaction that there is a prima facie case by itself is not sufficient to grant injunction. The Court further has to satisfythat non-interference by the Court would result in "irreparable injury" to the party seeking relief and that there is no other remedy available to the party except one to grant injunction and he needs protection from the consequences of apprehended injury or dispossession. Irreparable injury, however, does not mean that there must be no physical possibility of repairing the injury, but means only that the injury must be a material one, namely one that cannot be adequately compensated by way of damages.

उपखण्ड अधिकारी फागी, जयपुर

लगातार.....7

Balance of Convience (सुविधा का संतुलन)

12. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान में निहित सिद्धांत के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 AIR SCW 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान मे निहित सिद्धांत सुविधा का संतुलन की विस्तृत विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *5. (.....) The third condition also is that "the balance of convenience" must be in favour of granting injunction. The Courtwhile granting or refusing to grant injunction should exercisesound judicial discretion to find the amount of substantial mischief or injury which is likely to be caused to the parties, if the injunction is refused and compare it with that it is likely to be caused to the other side if the injunction is granted. If on weighing competing possibilities or probabilities of likelihood of injury and if the Court considers that pending the suit, the subject-matter should be maintained in status quo, an injunction would be issued. Thus the Court has to exercise its sound judicial discretion in granting or refusing the relief of ad interim injunction pending the suit.*

Role/Power of Court

13. प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रावधान के अनुप्रयोजन में न्यायालय की भूमिका, शक्तियां व दृष्टिकोण के बारे मे विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4602/2024 उनवान *Bloomberg Television Production vs Zee Entertainment Enterprises Limited* में दिनांक 12.03.2024 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के तहत न्यायालय की भूमिका एवं शक्तियो (Role/Power of Court) को स्पष्ट करते हुए निम्न दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *The three-fold test of establishing (i) a prima facie case, (ii)balance of convenience and (iii) irreparable loss or harm, for the grant of interim relief, is well-established in the jurisprudence of this Court. This test is equally applicable to the grant of interim injunctions in defamation suits. However, this three-fold test must not be applied mechanically,3 to the detriment of the other party and in the case of injunctions against journalistic pieces, often to the detriment of the public. While granting interim relief, the court must provide detailed reasons and analyze how the three-fold test is satisfied. A cursory reproduction of the submissions and precedents before the court is not sufficient. The court must explain how the test is satisfied and how the precedents cited apply to the facts of the case.*

14. उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतो के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद,सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है। उक्त संदर्भ में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है।

लगातार.....8

(8)

15. प्रकरण में सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण मे प्रथम दृष्टया विषयवस्तु/विवाद कारण को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ख0न0 1280, 1281, 1284 लगायत 1287, 1551 कुल किता 07 को पैतृक आराजी बताया है। पैतृक आराजी होने के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व बहस के अवलोकन से प्रतीत होता है उक्त विवादग्रस्त आराजी मे अप्रार्थी सं0 5 के वारिस व 6 लगायत 8 रिकार्डेड खातेदार है। उक्त आराजी का नामान्तकरण सं0 9 दिनांक 19.04.1959 में स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 के पिता गुलाब खां स्वंय द्वारा उक्त आराजी अप्रार्थी सं0 5 लगायत 8 के पिता/दादा को समर्पित किये जाने का उल्लेख है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 के पिता द्वारा अपने जीवन काल मे उक्त नामान्तकरण की कही भी अपील प्रस्तुत नही की है ना ही कोई ऐसा साक्ष्य योग्य अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी सं0 5 लगायत 8 उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। उक्त प्रकरण 10 वर्ष से विचाराधीन है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे जाहिर किया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 का हक व अधिकार मूल वाद मे निर्धारित किया जाना है।रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना प्रथम दृष्टया की हितों के साथ कुठारघात होगा। उपरोक्त तथ्यो से प्रथम दृष्टया केस अप्रार्थीगण के पक्ष मे प्रबल साबित होता है।

16. प्रकरण में अब प्रार्थीगण को होने वाली अपूर्णनीय क्षति को समझना आवश्यक है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आराजी को पैतृक आराजी बताते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से प्रतीत होता है कि गुलाब खां के नाम उक्त आराजी ख0न0 1591 रकबा 10 बीघा को नियमन होकर खातेदारी का इन्द्राज हो गया गुलाब खां ने अपने हक हिस्से की जमीन को अपने जीवन काल ही शमशुद्वद्वीन, मोईनुदूद्वीन पिता नसीर खां जाति मुसलमान लुहार को दिनांक 23.01.1992 मे ही बैचान कर दी थी। उक्त विवादग्रस्त आराजी के नामान्तकरण के समय गुलाब खां द्वारा ग्राम पंचायत नीमेडा मे उपस्थित होकर अपना हिस्सा नही होना बताया गया है। वर्तमान मे अप्रार्थी सं0 5 के वारिस व अप्रार्थी सं0 6 लगायत 8 उक्त विवादग्रस्त आराजी मे रिकार्डेड खातेदार है। वर्तमान रिकार्डेड खातेदार को अगर अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो राज्य सरकार से मिलने वाली सुधिवा का लाभ खातेदार को नही प्राप्त हो सकता है। इससे रिकार्डेड खातेदार को अपूर्णनीय क्षति उत्पन्न होना प्रतीत होता है।

17. इस प्रकार स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण का प्रकरण में मजबूत विवाद विषयवस्तु प्रकट होने, अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति प्रतीत होने तथा प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थीगण को हुई सुविधा की तुलना में अप्रार्थीगण को होने वाली असुविधा अधिक प्रतीत होने से सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/01/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-जयपुर